

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
इजलाश श्री सुनील कुमार झिगोनिया आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 28/2021

1-बलराम,

2-रामचंद

1-लक्ष्मण प्रसाद

1-गोपालप्रसाद पिसरान वदीप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मथुरादरवाजा कामां तहसील कामां, (डीग)
प्रार्थी

बनाम

1-योगेश कुमार पुत्र श्यामसिंह

2-बाबूलाल पुत्र श्यामसिंह

3-लक्ष्मीनारायण पुत्र श्यामसिंह

4-भगवानदेई पत्नि श्यामसिंह जाति जाट निवासी मथुरा दरवाजा कामेश्वर मन्दिर कामां

5-श्रीमती मोती पत्नि वीरेन्द्रसिंह पुत्री श्यामसिंह निवासी ग्राम सिकरोरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

उपस्थित अधिवक्ता

अप्रार्थी

1- श्री बालमुकन्द गुप्ता प्रार्थी अधिवक्ता

2- श्री बृजलाल शर्मा अप्रार्थी अधिवक्ता

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 18.03.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि साविक आराजी नम्बर 6017/0.51 (रकवा 3 बीघा 2 विस्वा)वाके ग्राम हाल कस्बा कामां नं0 3 खसरा नम्बर 2031/0.50 वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3 में तहसील कामां में स्थित है। वर्तमान में मन्दिर श्री मूर्ति चन्द्रमा जी महाराज विराजमान कामां की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है उक्त आराजी सहित अन्य आराजीयात के संबंध में एक सायल बलराम ने विरुद्ध मूर्ति श्री गोकुल चन्द्रमानजी इस्तकरार हक के लिए श्रीमान जी के कार्यालय में पेश किया था जो उनवानी प्रार्थना बलराम बनाम मूर्ति श्री गोकुल चन्द्रमाजी मु0मु0 122/98 पर न्यायालय में दर्ज रजिस्टर हुआ और उक्त प्रार्थना में सायल बलराम व मूर्ति श्री गोकुल चन्द्रमाजी के मध्य दिनांक 31.10.2003 को राजीनामा होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया और उक्त राजीनामा के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 6017 भी सायल बलराम के पिता बन्द्रप्रसाद के समय से ही उनके कब्जे काश्त में चले आने से और इस आराजी पर उनका शन्ति पूर्वक वैधानिक कब्जा काश्त में चले आने से और आराजी पर उनका शन्ति पूर्व वैधानिक कब्जा काश्त मानते हुये उक्त विवादित आराजी को बलराम के कब्जे काश्त में ही होना मानते हुये इस खसरा नम्बर की बावत भी दावा सायल बलराम डिक्री कर सायल बलराम को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की दादरसी चाही गयी परन्तु न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2004 से सायल का उपरोक्त दावा राजीनामा रिकार्ड पर होने के बाबजूद खारिज कर दिया जिसकी अपील सायल बलराम ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर मे पेश की है। सायलान ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील लम्बित रहने के दरम्यान विवादित आराजी खसरा नम्बर 6017 क बावत एक विक्रय मुहायदा दिनांक 17.5.2004 को श्यामसिंह पुत्र छतरसिंह जाति जाट निवासी कस्बा कामां से मुवलिंग 2 लाख रूप्या प्रति वीघा की दर से करते हुये उक्त श्यामसिंह से दो लाख पेशगी प्राप्त कर यह इकरार किया कि अदालत से हमारे पक्ष में डिक्री होने पर उससे बकाया विक्रय राशि प्राप्त करते हुए व हक केता श्यामसिंह बयनामा तहरीर कराने हेतु सायलान ने 100 रूप्या के स्टांप जिसमें 50/2 कय किये और सायलान द्वारा खरीद किये गये स्टांप पर दिनांक 17.5.2004 को ही इकरार नामा तहरीर कराया और इकरार नामा पर श्यामसिंह केता के यह कहने पर कि उक्त इकरार नामा को मैं नोटरी पब्लिक से भी तस्दीक करा लूंगा इसलिये आप सायलान इकरार नामा की पुस्त पर भी अपने अपने हस्ताक्षर कर दें तो हम सायलान ने श्यामसिंह केता की बातों पर विश्वास कर इकरार नामा की पुस्त पर अपने अपने हस्ताक्षर और कर दिये और इकरार नामा की पुस्त पर जब हम सायलान ने हस्ताक्षर किये तो समय उसकी पुस्त

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज0

पर कोई इबारत तहरीर नहीं थी और इकरार नामा श्यामसिंह के हवाले कर दिया और उक्त इकरार नामा असल की फोटो प्रति सायलान ने स्वयं अपने पास बतौर सबूत रखी । विक्रय के इकरार नामा को सायलान ने केता श्यामसिंह की मृत्यु हो जाने व उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 12.4.21 तक कोई खातेदारी अधिकार अन्तिम रूप से सायलान को प्राप्त ना होने व जमाबन्दी में बदस्तूर उक्त आराजी मन्दिर श्री गोकुलचन्दमा जी की खातेदार में दर्ज चले आ रहने से और सायल बलराम द्वारा पेश प्रार्थना में सायलान को कोई सफलता प्राप्त नहीं होने की उम्मीद ना होने से व सायलान बुजुर्ग अवस्था आने विक्रय के मुहायदा करने के रोज उक्त सभी तथ्यों व इकरार नामा के अनुसार श्यामसिंह के पक्ष में विक्रय पंजीबद्ध कराने से सायलान को उत्पन्न परेशानीया हो रही है । इकरार नामा दिनांक 17.5.2004 को दिनांक 12.4.2021 को निरस्त करते हुये गैरसायलान को इस बावत नोटिस प्रेषित किये गये जो गैरसायलान ने जानबूझ कर प्राप्त नहीं किये । तत्पश्चात सायलान ने दिनांक 29.4.2021 को दैनिक भास्कर भरतपुर में उक्त इकरार नामा निरस्त बावत सूचना प्रकाशित करायी गयी । कि गैर सायलान 15 दिवस के अन्दर अन्दर श्यामसिंह द्वारा सायलान को दी गयी पेशगी राशि 2 लाख रुपया प्राप्त कर ले । गैर सायलान की ओर यह मिथ्याकथन दर्ज कराये कि इकरारनामा बेचान की शेष राशि गैरसायलान के पिता ने दिनांक 17.8.2007 को ही सायलान को अदा कर दी थी और बावत अंकन नारायनलाल अर्जी नवीस से व मौजूदगी गवाहन करायी व उपस्थित सायलान ने ब अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा इस बावत सायलान ने प्राप्ति रसीद अंकित की तथा नोटिस में गैरसायलान ने गलत तथ्य दर्ज करायी जिनको अस्वीकार करते हुये दिनांक 17.8.2007 को श्यामसिंह से कोई 430000रुपये प्राप्त नहीं किये हैं ना ही आराजी का कोई कब्जा सायलान ने सौंपा है । ना ही इकरार नामा की पुस्त पर सायलान ने कोई इवारत तहरीर करायी है । गैर सायलान ने नोटिरी पब्लिक से तस्दीक कराने की कहकर हस्ताक्षर कराये थे । इस प्रकार गैर सायलान किसी भी सूरत में सायलान से विवादित आराजी का वयनामा अपने हक करा पाने के अधिकारी नहीं है इकरारनामा विधिवत रूप से सायलान द्वारा निरस्त किया जा चुका है । सायलान का आराजी मुतदाविया पर शन्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है लेकिन गैरसायलान सायलान द्वारा ऐलानियां धमकी दी कि ताकत के बल पर कब्जा नाजायल करके रहेंगे । और निर्माण कार्य करके रहेंगे । यदि गैरसायलान अपनी उक्त धमकी व इरादे में सफल हो गये तो सायलान को ऐसी अपरमित क्षति होगी । विदि बजह सायलगण गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने के अधिकारी है । आराजी खसरा नम्बर 6017/0.51 हाल खसरा नम्बर 2031/0.50 वाके कस्बा कामां नं0 3 की कब्जे काश्त सायलान में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे व उक्त आराजी मुत0 से सायलान को जबरन बेदखल ना करे व उस पर कब्जा नाजायज गैर सायलान नहीं करे । ता फैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द पाबन्द करा पाने की अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायल ने जबाव पेश किया कि सायलान बलराम रामचन्द लक्ष्मण प्रसाद व गोपालप्रसाद द्वारा दिनांक 17.5.2004को आराजी खसरा नम्बर 6017 की बावत एक विक्रय मुहायदा व मुवलिग दो लाख रुपया प्रति बीघा के हिसाब से पिता व पति गैरसायलान श्यामसिंह पुत्र छतरसिंह जाति जाट से किया गया सायलान द्वारा विक्रय मुहायदा को तहरीर कराने के लिए 100/रु के स्टाम्प पेपर खरीद किया गया एवं सायलान द्वारा अपने स्वयं के एवं अपने गवाहान के हस्ताक्षर व अगूठा निशानी किया जाकर इकरार नमा पिता व पति को दिया गया । तथा सायलान का यह कहना गलत है कि इकरार नामा पर हस्ताक्षर नहीं किये । बल्कि हकीकत वाक्यांत इस प्रकार से है कि सायलान को अपने घरेलू आवश्यक कार्यों के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता थी जिसके सबब तहरीर शुदा इकरारनामा पर दिनांक 17.8.2007 को विक्रय मुहायदा की बकाया सम्पूर्ण राशि 430000/चार लाख तीस हजार रुपये अपने गवाहान व अर्जी नवीस के समक्ष नकद प्राप्त करते हुए इकरार नामा की पुष्ट पर शेष बकाया राशि प्राप्त कर कब्जा आराजी मुतदाविया पर कब्जा पति व पिता गैरसायलान श्यामसिंह को सुपुर्द कर दिया गया है । श्यामसिंह की मृत्यु हो चुकी है । मुताबिक कानून की प्रक्रिया अपनाते हुए श्री अनुज कुमार एड0 से विधिक व कानूनी नोटिस सायलान दिया जाना स्वीकार है । सायलान का आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा नहीं है । राशि प्राप्त कर सायलान ने आराजी मुतनाजा का कब्जा सम्भाल दिया है । और ना ही सायलान विवादित आराजी मुतनाजा के रिकाडेड खातेदार काश्तकार है । जिसके सबस सायलान के खिलाफ किसी भी कानून के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाने के अधिकारी नहीं है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074-2077, फोटो प्रति क्षेत्रफल मिलान, फोटो प्रति इकरारनामा दिनांक 17.5.2004, फोटो प्रति राजीनामा, न्यायालय एस0डी0एम0 कामां, निर्णय आर0ए0ए0 फोटो प्रति आदेशिका दिनांक 16.9.09, फोटो प्रति नोटिस दिनांक 17.4.2021, फोटो प्रति आम सूचना दैनिक भास्कर पेश की है ।

अप्रार्थी की ओर से जमाबन्दी सं0 2074-2077 की नकल पेश की है । और कोई दस्तावेज शामिल नहीं किये गये हैं ।

जखण्ड अधिकां
कामां (बीग) राज-

हमने पत्रावली का उभयपक्षकारान की बहस सुनी प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अवलोकन आराजी नम्बर 6017/0.51 (रकबा 3 बीघा 2 विस्वा)वाके ग्राम हाल कस्बा कामां नं० 3 खसरा नम्बर 2031/0.50 वाके ग्राम कस्बा कामां नं० 3 में तहसील कामां में स्थित है । वर्तमान में मन्दिर श्री मूर्ति चन्द्रमा जी महाराज विराजमान कामां की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है । उक्त आराजी सहित अन्य आराजीयात के संबंध में एक सायल बलराम ने विरुद्ध मूर्ति श्री गोकुल चन्द्रमानजी इस्तकरार हक के लिए श्रीमान जी के कार्यालय में पेश किया था जो उनवानी प्रार्थना बलराम बनाम मूर्ति श्री गोकुल चन्द्रमाजी मु०मु० 122/98 पर न्यायालय में दर्ज रजिस्टर हुआ और उक्त प्रार्थना में सायल बलराम व मूर्ति श्री गोकुल चन्द्रमाजी के मध्य दिनांक 31.10.2003 को राजीनामा होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया और उक्त राजीनामा के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 6017 भी सायल बलराम के पिता बन्द्रप्रसाद के समय से ही उनके कब्जे काशत में चले आने से और इस आराजी पर उनका शक्ति पूर्वक वैधानिक कब्जा काशत है । सायलान ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील लम्बित रहने के दरम्यान विवादित आराजी खसरा नम्बर 6017 क बावत एक विक्रय मुहायदा दिनांक 17.5.2004 को श्यामसिंह पुत्र छतरसिंह जाति जाट निवासी कस्बा कामां से मुवलिग 2 लाख रूप्या प्रति वीघा की दर से करते हुये उक्त श्यामसिंह से दो लाख पेशगी प्राप्त कर यह इकरार किया कि अदालत से हमारे पक्ष में डिक्री होने पर उससे बकाया विक्रय राशि प्राप्त करते हुए व हक केता श्यामसिंह बयनामा तहरीर कराने हेतु सायलान ने 100 रूप्या के स्टॉप जिसमें 50/2 क्य किये और सायलान द्वारा खरीद किये गये स्टॉप पर दिनांक 17.5.2004 को ही इकरार नामा तहरीर कराया और इकरार नामा पर श्यामसिंह केता के यह कहने पर कि उक्त इकरार नामा पर हस्ताक्षर करा लिया कि मैं नोटरी पब्लिक से भी तस्दीक करा लूंगा इसलिये आप सायलान इकरार नामा की पुस्त पर भी अपने अपने हस्ताक्षर कर देवें तो सायलान ने श्यामसिंह केता की बातो पर विश्वास कर इकरार नामा की पुस्त पर अपने अपने हस्ताक्षर और कर दिये और इकरार नामा की पुस्त पर जब सायलान ने हस्ताक्षर कर दिये गये इकरारनामा विधिवत रूप से सायलान द्वारा निरस्त किया जा चुका है । सायलान का आराजी मुतदाविया पर शक्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है लेकिन गैरसायलान सायलान द्वारा ऐलानियां धमकी दी कि ताकत के बल पर कब्जा नाजायल करके रहेंगे । और निर्माण कार्य करके रहेंगे । यदि गैरसायलान अपनी उक्त धमकी व इरादे में सफल हो गये तो सायलान को ऐसी अपरमित क्षति होगी । विदि बजह सायलगण गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने के अधिकारी है । आराजी खसरा नम्बर 6017/0.51 हाल खसरा नम्बर 2031/0.50 वाके कस्बा कामां नं० 3 की कब्जे काशत सायलान में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे व उक्त आराजी मुत० से सायलान को जबरन बेदखल ना करे व उस पर कब्जा नाजायज गैर सायलान नहीं करे । ता फ़ैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द पाबन्द करा पाने की अधिकारी है । अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि सायलान का आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा नहीं है सायलान का आराजी मुतनाजा को दिनांक 17.8.2007 जरिये विक्रय मुहायदी राशि 430000चार लाख तीस हजार सौप दिये थां जिस पर गैरसायलान का कब्जा है । इसके सबब सायलान का गैरसायलान के खिलाफ किसी भी कानून के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी नहीं है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी तथा मनन किया गया कि जमाबन्दी सं० 2074-2077 के अवलोकन करने से पाया कि आखन० 6017/0.15 तीन बीघा 2 विस्वा हाल खसरा नम्बर 2031/0.50 वाके ग्राम कस्बा कामां नं० 3 पर मन्दिर श्री गोकुल चन्द्रमा जी महाराज विराजमान खातेदार काबिज है । प्रार्थी द्वारा एक राजीनामा बलराम बनाम मूर्ति श्री गोकुलचन्द्रमा जी पेश किया कि दावा वादी वगैरा राजीनामा डिक्री होकर वादीगण के नाम आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होगी । तथा इकरार नामा की फोटो प्रति भी पेश की है जिस पर सायलान के हस्ताक्षर है । प्रार्थी द्वारा इकरार नामा को निरस्त करने के लिए गैर सायलान के खिलाफ विधिवत कार्यवाही की गई है । कब्जे व विक्रय बावत कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है । प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन प्रार्थीयान के हक प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा पत्र को फ़ैसला होने तक पुष्ट किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो

(सुनील कुमार झिंगोनिया)

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी कामां (डीग)